न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 96/2019

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– श्रीमती जमना पत्नी स्व0 गोविन्दलाल 2– सुरजमल पुत्र स्व0 गोविन्दलाल 3– अमरसिह पुत्र स्व0 गोविन्दलाल समस्त जातियान बेलदार निवासी लूनी हाल न्यू सुभाष नगर भटवाडा पाली		1– लक्ष्मीनारायण पुत्र झूमरलाल 2– ओमप्रकाश पुत्र झूमरलाल 3– श्रीमती भंवरी पत्नी झूमरलाल 4– श्रीमती संतोष पुत्री झूमरलाल 5– टमू पुत्री झूमरलाल 6– राजू पुत्री झूमरलाल 7– राधा पुत्री झूमरलाल समस्त जातियान बेलदार निवासी बेलदारो का बास, लूनी जिला जोधपुर 8– तहसीलदार लूनी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 7–6–2019 जो तहसीलदार लूनी द्वारा प्रकरण संख्या 05/2017 मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री हनुमान प्रजापति अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री मूल सिह पंवार अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1 से 7 की ओर से ।
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 8 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 4–11–2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम लूनी के खसरा नंबर 122 रकबा 14 बीघा एवं खसरा नंबर 123 रकबा 15.05 बीघा भूमि का खातेदार गोविन्दलाल पुत्र चौथाराम जाति बेलदार सा0 देह था । जिसके फोत होने पर उक्त खातेदारी की भूमि का नामांतरकरण संख्या 367 उसके कोई लडका लडकी नही होने से भाई झूमरलाल के पक्ष मे भरकर स्वीकृत कर दिया । उक्त म्युटेशन संख्या 367 के विरूद्ध प्रथम अपील वर्तमान अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी लूनी के समक्ष पेश की थी जो अपील उपखण्ड अधिकारी लूनी ने उनके निर्णय दिनांक 7–12–2012 के द्वारा स्वीकार कर म्युटेशन संख्या 367 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार लनूी को गोविन्दलाल पुत्र चौथाराम कौम बेलदार के सभी हितबद्ध वारिसान की जांच कर नामांतरकरण पारित करने के निर्देश के साथ रिमाण्ड किया । उपखण्ड अधिकारी लूनी के उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील वर्तमान रेस्पो0 ने न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की जाने पर निर्णय दिनांक 15–7–2013 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी लूनी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 7–12–2012 को निरस्त कर दिया जाने पर न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के निर्णय के विरूद्ध निगरानी राजस्व मण्डल अजमेर मे प्रस्तुत होने पर निर्णय दिनांक 18–11–2016 के द्वारा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के निर्णय

दिनांक 15–7–2013 को निरस्त कर उपखण्ड अधिकारी लूनी के निर्णय दिनांक 7–12–2012 की पुष्टि की गई जो माननीय उच्च न्यायालय की एकलपीठ एवं डी.बी. के निर्णयो के बाद यथावत रहने पर तहसीलदार लूनी द्वारा प्रकरण संख्या 5/2017 के रूप मे दर्ज कर जांच प्रारंभ की तथा निर्णय दिनांक 3–1–19 द्वारा प्रार्थीगणो के पक्ष मे नामांतरकरण दर्ज करने के आदेश पारित किये । जिस पर अप्रार्थीगणो ने तहसीलदार के समक्ष दिनांक 29–1–2019 को प्रार्थना पत्र पेश कर सुनवाई का अवसर नही देने से निर्णय निरस्त करने की मांग पर निर्णय रिव्यू किया गया तथा अप्राथीगणों द्वारा तहसीलदार लूनी के प्रकरण संख्या 11/2017 निर्णय दिनांक 3–1–2019 के विरूद्ध अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर मे राजस्व अपील संख्या 43/2019 प्रस्तुत की जिसके निर्णय दिनांक 18–4–2019 द्वारा तहसीलदार लूनी के निर्णय दिनांक 3–1–2019 को निरस्त कर दोनो पक्षकारो को सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण एक माह मे निस्तारण के निर्देश के साथ पक्षकारो को दिनांक 10–5–2019 को तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिये गये । जिसकी पालना मे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लूनी ने बाद सुनवाई एवं जांच के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 7–6–2019 के द्वारा वर्तमान अपीलांटगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर ग्राम लूनी के नामांतरकरण संख्या 367 को यथावत रखा । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लूनी द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 7–6–2019 से व्यथित होकर अपीलांट ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस सुनी । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि ग्राम लूनी के नामांतरकरण संख्या 367 स्वीकृति के संबंध मे विभिन्न न्यायालयो मे प्रस्तुत अपीलो/ निगरानियो मे पारित किये गये निर्णयो एवं उनके क्रम मे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लूनी द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 7–6–2019 विधिविरूद्ध होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेकर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य का समुचित रूप से विश्लेषण किये बिना केवल मौखिक साक्ष्य को आधार मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्त योग्य है तथा यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं आदेशिकाओ से होती है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मनमाना तथा विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि उक्त प्रकरण मे विभिन्न न्यायालयो द्वारा पारित निर्णयो के उपरांत उपखण्ड अधिकारी लूनी का निर्णय दिनांक 7–12–2012 यथावर रहा तथा कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी

लूनी के उक्त निर्णय के द्वारा नामांतरकरण संख्या 367 को निरस्त करते हुए मामला तहसीलदार लूनी को गोविन्दलाल पुत्र चौथाराम कौम बेलदार के सभी हितबद्ध वारिसान की जांच कर तथा उन्हे नियमानुसार लिखित मे नोटिस देकर एवं सुनवाई का समुचित अवसर देकर विधिसम्मत नामांतरकरण पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इसके विपरीत झूमरलाल के वारिसो के नाम नामांतरकरण की कार्यवाही करने बाबत अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लूनी द्वारा पारित निर्णय विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि जिस नामांतरकरण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा खारीज कर दिया था उसी नामांतरकरण को तहसीलदार लूनी ने अपीलाधीन निर्णय के जरिये बहाल रखने का आदेश पारित कर दिया जो क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर पारित किया गया आदेश विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि गोविन्दलाल जी लूनी से मजदूरी के लिए पाली शहर चले गये और वही स्थाई रूप से निवास करने लग गये तथा परिवार सहित वही निवास करते थे तथा अपीलांट गोविन्दलाल के वारिस है इस बाबत अपीलांट ने प्रथम अपीलीय न्यायालय मे एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लूनी के समक्ष भी तमाम दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये थे परंतु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लूनी ने इन दस्तावेजी साक्ष्यो को दरकिनार करते हुए तथा मौखिक साक्ष्य के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत मौखिक साक्ष्य का कोई महत्व नही है तथा कानूनी रूप से भी मौखिक साक्ष्य मान्य नही होते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लूनी द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 7–6–19 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए तथा अपीलांट द्वारा इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील का रेस्पो0गण की ओर से दिनांक 14–10–2019 को प्रस्तुत किये गये जवाब को उनकी बहस मे सुमार करते हुए अपीलांट अधिवक्ता की बहस के प्रत्युत्तर मे कथन किया कि अधीनस्थ अपीलांटगण ने अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 367 के विरूद्ध लगभग 40 वर्ष के विलंब से उपखण्ड अधिकारी लूनी के न्यायालय मे प्रथम अपील पेश की जबकि अपीलाधीन भूमि पर म्युटेशन स्वीकृति के समय से ही हमारा कब्जा काश्त लगभग 55 वर्षो से चला आ रहा है, अपीलांटगण का कभी

उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नही रहा, अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन भूमि पर कब्जा काश्त की पुष्टि कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है । वकील रेस्पो0 ने अपीलांट अधिवक्ता की बहस के प्रत्युत्तर मे कथन किया कि तहसीलदार लूनी ने उपखण्ड अधिकारी लूनी के रिमाण्ड आदेश की पालना करते हुए ही मृतक गोविन्दलाल एवं झूमरलाल के विधिक वारिसान को नोटिस जारी कर उनको सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उनके तथा गवाहान के बयान आदि भी कलमबद्ध करने के बाद तथा पटवारी हल्का, सरपंच, वार्ड पंच आदि की रिपोर्ट प्राप्त कर विधिसम्मत तरीके से निर्णय पारित किया है, जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर गौरपूर्वक मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लूनी द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 7–6–2019 तथा रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपील का जवाए एवं फार्म नंबर 3 के सलंग्न प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का अवलोकन एवं अध्ययन किया ।

ग्राम लूनी के खसरा नंबरान 122 एवं 123 की भूमि झूमरलाल, गोविन्दलाल पि0 चौथाराम कौम बेलदार सा0 देह के सह खातेदारी की थी तथा उक्त सह खातेदार गोविन्दलाल का देहांत वर्ष 1973 मे होने पर उसके हिस्से की भूमि का फोतेदगी म्युटेशन संख्या 367 गोविन्दलाल के कोई जायंदा लडका या लडकी नही होने का उल्लेख करते हुए उक्त सम्पूर्ण भूमि उसके भाई झुमरलाल के नाम दर्ज की गई । उक्त म्युटेशन के विरूद्ध वर्ष 2012 मे लगभग 39 वर्ष के विलंब से प्रथम अपील उपखण्ड अधिकारी लूनी के समक्ष अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत की गई । उक्त अपील को उपखण्ड अधिकारी लूनी ने अपने निर्णय दिनांक 7–12–2012 के द्वारा स्वीकार करते हुए नामांतरकरण संख्या 367 निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार लूनी को मृत खातेदार गोविन्दलाल पुत्र चौथाराम कोम बेलदार के सभी हितबद्ध वारिसान की जांच कर तथा उन्हे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नामांतरकरण की कार्यवाही करने हेतु रिमाण्ड किया । उक्त आदेश के विरूद्ध विभिन्न न्यायालयो अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर मे अपीले प्रस्तुत हुई, जिसमे अंतत उपखण्ड अधिकारी लूनी के निर्णय दिनांक 7–12–2012 को यथावत रखा जाने पर तहसीलदार लूनी ने उपखण्ड अधिकारी लूनी के निर्णय की पालना मे प्रकरण संख्या 11/2017 अन्तर्गत धारा 135 (2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए दिनांक 3–1–2019 को पारित निर्णय से म्युटेशन संख्या 367 को निरस्त कर गोविन्दलाल के स्थान पर उसकी पत्नी, 2 पुत्र एवं 2 पुत्रियों के नाम म्युटेशन दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जाने पर उक्त आदेश के

विरूद्ध इस न्यायालय हाजा के समक्ष अपील संख्या 43/2019 अनवान लक्ष्मीनारायण वगैरा बनाम श्रीमती जमना वगैरा की प्रस्तुत हुई जिसे निर्णय दिनांक 18–4–2019 के द्वारा स्वीकार कर तहसीलदार लूनी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 3–1–2019 को निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः तहसीलदार लूनी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि वे अपील के अपीलांटगण एवं रेस्पो0गण को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण को एक माह की अवधि मे निस्तारित करे तथा उभय पक्षकारान को तहसीलदार लूनी के समक्ष दिनांक 10–5–2019 को उपस्थित होने के निर्देश पारित किये गये । जिसकी पालना मे तहसीलदार लूनी ने प्रकरण संख्या 5/2017 अनवान श्रीमती जमना वगैरा बनाम लक्ष्मीनारायण वगैरा दर्ज करते हुए बाद पक्षकारान की सुनवाई, जांच एवं गवाहान के बयानात आदि दर्ज कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 7–6–2019 के द्वारा वर्तमान अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत म्युटेशन दर्ज करने का अस्वीकार करते हुए ग्राम लूनी के नामांतरकरण संख्या 367 को यथावत रखने का आदेश पारित किया । तहसीलदार लूनी द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 7–6–2019 के विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

वर्तमान मामले मे मुख्य रूप से विवाद इस बात का है कि वर्तमान अपीलांट क्या मृत खातेदार गोविन्दलाल पुत्र चौथाराम जाति बेलदार सा0 लूनी के पत्नी, पुत्रगण है अथवा नही । इस संबंध मे अपीलांटगण का यह कथन है कि वे मृतक खातेदार गोविन्दलाल के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान है जिनके जीवित रहते हुए अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 367 गलत तरीके से मृतक के वारिसान की जांच किये बिना तथा मृतक खातेदार गोविन्दलाल के कोई लडका व लडकी नही होने का उल्लेख करते हए उसके भाई झुमरलाल के नाम स्वीकृत कर दिया, जो विधिविरूद्ध था तथा यह भी कथन किया कि अपीलांटगण ही मृतक खातेदार गोविन्दलाल के विधिक वारिस है ।

वकील अपीलांट का कथन किया कि गोविन्दलाल जी पहले लूनी मे ही रहते थे बाद मे मजदूरी के लिए पाली चले गये थे तथा अपीलांटगण ही स्व0 गोविन्दलालजी के प्रथम श्रेणी के वारिस है इसकी पुष्टि मे अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने आधार कार्ड एवं पहचान पत्र आदि प्रस्तुत किये थे जिनमे अपीलांटगण के पति एवं पिता का नाम गोविन्दराम लिखा हुआ है।

इसके विपरीत वर्तमान रेस्पो0गण का यह कथन है कि अपीलाधीन भूमि के सहखातेदार गोविन्दलाल पुत्र चौथाराम अविवाहित ही फौत हो गये थे उनके कोई संतान या प्रथम श्रेणी के वारिस नही थे इसलिए अपीलाधीन भूमि उसके भाई झूमरलालजी के नाम म्युटेशन संख्या 367 के जरिये दर्ज हुई तब से ही अपीलाधीन भूमि पर रेस्पो0गण का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा यह भी कथन किया कि

वर्तमान अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे जो दस्तावेज पेश किये है उसमे अपीलांटगण के नाम के साथ पति एवं पिता का गोविन्दराम लिखा हुआ है जो 218, सुभाष नगर भटवाडा पाली वार्ड नंबर 3 तहसील पाली लिखा हुआ है परंतु ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया जिसमे गोविन्दराम के पिता का नाम चौथाराम का उल्लेख हो । रेस्पो0 अधिवक्ता का यह कथन कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लिए गये गवाहान के बयानो मे भी किसी गवाह ने अपने बयानो मे यह नही बताया कि वर्तमान अपीलांटगण ही गोविन्दराम पुत्र चौथाराम के ही वारिस है ।

प्रस्तुत प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लूनी ने मृतक खातेदार गोविन्दराम के बारे मे लूनी के स्वतंत्र गवाहान एवं सरपंच, पटवारी, पूर्व पंचायत समिति सदस्य, वार्ड पंच आदि के बयानात कलमबद्ध कर विस्तृत जांच के बाद अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रकार की फाईंडिंग दी है कि ''राजस्व अधिकारी उतराधिकार प्रमाण पत्र/वारिस/स्वामित्व के बारे मे तय नही कर सकते है यह क्षेत्राधिकार केवल सिविल न्यायालय को ही है । म्युटेशन की कार्यवाही एक समरी कार्यवाही है जो मात्र लगान वसूली के लिए है न कि स्वामित्व निर्धारण के लिए। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे दिया गया उक्त विवेचन समर्थन योग्य होने से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लूनी द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 7–6–2019 मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नही होगा तथा वर्तमान प्रकरण जो लंबे समय से मात्र इस बिन्दु पर विचाराधीन है कि अपीलांटगण क्या गोविन्दलाल पुत्र चौथाराम जाति बेलदार के प्रथम श्रेणी के वारिस है या नही, इसके लिए बेहतर तो यही होगा कि अपीलांटगण सक्षम सिविल न्यायालय से अपना उतराधिकार प्रमाण पत्र हासिल करें जिसके द्वारा ही उनका अपीलाधीन भूमि मे हक अधिकार निर्धारण होगा, न कि म्युटेशन की अपीलों से ।

परिणामस्वरूप अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लूनी द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 7–6–2019 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 4–11–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Aslam Mehar
Date: 2019.11.11 12:40:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: